


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्र.:—एफ4(5)ग्रावि-3 / नरेगा / 09-10

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

2 SEP 2009

**विषय :- नरेगा में क्रय की जाने वाली निर्माण एवं अन्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर  
संधारित करने संबंधी।**

महोदय,

नरेगा अन्तर्गत पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यो हेतु क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री के Stock Register का प्रारूप संलग्न कर संधारण हेतु भिजवाया जा रहा है। समस्त निर्माण सामग्री का इन्द्राज इस Stock Register में आवश्यक रूप से किया जावे। यह 200 पृष्ठीय रजिस्टर पंचायत समिति स्तर से मुद्रित करवाकर प्रति पंचायत एक रजिस्टर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित कर जारी किया जावे एवं इसके प्रत्येक पन्ने पर पृष्ठ संख्या अंकित हो। निर्माण कार्यो के लिए जो भी सामग्री क्रय की जावे वह उच्च गुणवत्ता की एवं प्रचलित बाजार दर (Prevalent Market Rate) पर ही खरीदी जावे। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि न्यूनतम निविदादाता की दरें भी कई स्थानों पर बाजार दर से असामान्य रूप से अधिक पाई गई हैं। ऐसी स्थिति में क्रय समिति नेमी रूप में न्यूनतम दरदाता को कार्य आदेश नहीं देवे एवं ऐसी न्यूनतम दर की बाजार दर से तुलना करे। सामग्री की खरीद पूर्णतया पारदर्शी तरीके से कर भुगतान केवल चेक द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्माण सामग्री की अनावश्यक खरीद नहीं की जाकर कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही खरीद की जावे एवं किसी भी राशि का नकद भुगतान न किया जाकर चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जावे। सामग्री क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु सरपंच/ सचिव को अग्रिम राशि जारी करने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जी. एस. सन्धु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को उक्त निर्देशों की प्रतिलिपि समस्त विकास/ कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक को उपलब्ध करवाकर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

31/0/09  
परियोजना निदेशक, ईजीएस

